


फरद अहकाम

छाजू राम बनाम रामेश्वर लाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 176/12

वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/4/18	<p>न. क. उपर्युक्त वकील कादी का मुद्दा का प्राप्य पेश करने हेतु समर्थ-वादी के वकील कादी की मौखिक बयान के आधार पर पुनः न्याय हेतु से खानिंग अंतर दिए गए हैं आजादी पेशी पर का. मु. का प्राप्य पेश नहीं करने पर वाद स्वतः अवेट माना जावेगा पतावली कहते पेश करने का मु. प्राप्य हेतु दिनांक 28/5/18 को पेश हो।</p>	
	28/5/18	<p>आज यह पतावली न्याय आपके नर कम्प कोर्ट गाम खेजरोली में पेश हुई। वादी स्वयं उपर्युक्त वादी ने प्राप्य विद्वा का पेश कर निवेदन किया कि प्रकार को आज नहीं पढ़ाना चाहिए तथा वाद को विद्वा करने की अनुमति देने का कह कर कथन किया। वादी की पहचान खरपंच गाम पं. खेजरोली में की है। वादी को वाद विद्वा करने की अनुमति दी जाती है विद्वा के आधार पर पतावली खारिज की जाती है पतावली फल सुमा हो कर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दारिद्र्य दफ्तर हो।</p>	<p>छाजू रामेश्वर 28-5-2008</p> <p> सरपंच गाम-खेजरोली जयपुर (जयपुर)</p> <p>हायक कलक्टर धीमू (जयपुर)</p>

